न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 40/2020

1. प्रकाश पत्र सगनाराम जाति नायक उम्र 39 वर्ष निवासी 7 डी बड़ा तहसाला वा जिला श्रीगंगानगर
2. राजकुमार पुत्र सुगनाराम जाति नायक उम्र 37 वर्ष निवासी 7 डा बड़ा , तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।

— — **प्रार्थीगण**

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

— — **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1.	श्री भजन लाल अधिवक्ता	— — प्रार्थीगण
2.	पैरोकार राज	— — अप्रार्थी 1

— :: निर्णय ::– **दिनांक :–12.01.2021**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता सुगनाराम के नाम से वाके चक चक 7 डी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 93 के मु.न. 29 में कुल 6.325 हैक्टर नहरी कृषि भमि में हिस्सा था। प्रार्थीगण के पिता सुगनाराम का स्वर्गवास दिनांक 28.03.1993 को हो चुका है। जिसके वारिसान पत्नी बिरजू देवी पुत्री कान्ता देवी व प्रार्थीगण प्रकाश व राजकुमार जायज वारिसान है। नकल जमाबंदी मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा सुगनाराम का संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी प्रकाश का नाम जमाबंदी में सहवन से औमप्रकाश लिखा गया व जमाबंदी में सहवन से राजूराम अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का नाम प्रकाश व राजकुमार है ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र जिसमे प्रार्थी का नाम प्रकाश व राजकुमार है राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र में मिकर का नाम प्रकाश व राजकुमार है केवल मात्र जमाबंदी में मिकर का नाम सहवन से औमप्रकाश व राजूराम अंकित किया गया है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में औमप्रकाश व राजूराम होने व पहचान पत्र वोटर,आधार कार्ड,परिवार राशन कार्ड आदि में नाम प्रकाश व ,राजकुमार होने के कारण प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में औमप्रकाश के स्थान पर प्रकाश व राजूराम के स्थान पर राजकुमार दुरूस्त करवाना चाहता है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके चक 7 डी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 93 के मु.न. 29 संयुक्त खाता मे 6.325 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थीगण का नाम ओमप्रकाश के स्थान पर प्रकाश व राजूराम के स्थान पर राजकुमार अंकित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी चक 7 डी बडी सम्वत् 2070–2073 खता संख्या 93/67 में मु.नं. 29 की कुल 6.325 हैक. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से ओमप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति नायक हिस्सा 79/2530 हैक. रहन आरजीबी शाखा कोनी तथा राजूराम पुत्र सुगनामरा जाति नायक हिस्सा 79/2530 हैक. रहन आर.जी.बी शाखा कोनी दर्ज रिकार्ड है तथा विरास्तन इंतकाल संख्या 109 में भी प्रर्थीयान के के नाम ओमप्रकाश पुत्र सुगनाराम तथा राजूराम पुत्र सुगनाराम ही दर्ज है। विरास्तन इंतकाल व वारिसान की छायाप्रति रिर्ट के साथ संलग्न है। एलआर एक्ट 1956 के नियम 136 के तहत नाम शुद्ध किया जाना उचित नहीं है।

–:: आदेश ::–

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी चक 7 डी बडी सम्वत् 2070–2073 खता संख्या 93/67 में मु.नं. 29 की कुल 6.325 हैक., जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 7 डी बडी पटवार हल्का मदेरां, भू.अ.नि. क्षेत्र. शिवपुर खाता संख्या 93, मृत्यु प्रमाण पत्र सुगना राम, आधार कार्ड प्रकाश, जनआधार कार्ड सुमित्रा देवी, निर्वाचन पहचान पत्र प्रकाश पुत्र सुगना राम, परिवार राशन कार्ड प्रकाश नायक, आधार कार्ड राजकुमार, जन आधार कार्ड परमेश्वरी, परिवार राशन कार्ड राजकुमार, निर्वाचन पहचान पत्र राजकुमार, की प्रतियां पेश की। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विरास्तन इंतकाल संख्या 109 में भी प्रर्थीयान के के नाम ओमप्रकाश पुत्र सुगनाराम तथा राजूराम पुत्र सुगनाराम ही दर्ज है। एलआर एक्ट 1956 के नियम 136 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर